न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी

उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी

नियमित जमानत आवेदन संख्या 327 / 2026

थाना सुप्पी कांड संख्या 54 / 2026

आदेश दिनांक –20.05.2026

पेज संख्या

महेश मुखिया ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से :– श्री पंकज कुमार, विद्वान अधिवक्ता

बिहार सरकार की ओर से :– अकील अहमद, विद्वान अपर लोक अभियोजक

आ दे श

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र काराधीन अभियुक्त **1. महेश मुखिया** की ओर से थाना सुप्पी कांड संख्या 54 / 2026, धारा 318 (4), 319 (2), 363 (3), 303 (2), 340 (2) भा0 न्या0 सं0 के अंतर्गत अपराध में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, कोई अभियोजित अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक कांड दर्ज नहीं है। आवेदक को इस वाद में त्रुटिपूर्ण तरीके से लांछित किया गया है। वास्तविकता यह है कि आवेदक अभियुक्त एवं सूचक महाराष्ट में फैक्ट्री में ठेकेदार का कार्य करते थे और उस क्रम में आपस में लेन देन होता था और सूचक बेईमानी की नियत से आवेदक द्वारा कराये गये कार्य के एवज में करीब पांच लाख रूपया के हिसाब का हेर फेर कर दिया और मांगने पर झूठा आरोप लगाकर यह झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। आवेदक अभियुक्त के भागने की कोई संभावना नहीं है एवं आवेदक अभियुक्त दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अकील अहमद द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहते हैं कि कांड ठगी कर 40 लाख रूपये हड़पने के गंभीर अपराध से संबंधित है, इसलिए अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

4. अभियोजन का वाद सूचक के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक के साथ महाराष्ट्र में फैक्ट्री में काम करने के दौरान संपर्क में आये, सहकर्मी महेश मुखिया द्वारा फैक्ट्री का टेंडर का लाइसेंस बनवाने के नाम पर इन्होंने सूचक से 1 करोड रूपये की मांग किया तथा बताया कि उसका पहुंच बहुत उपर तक है और महाराष्ट्र के डी0 जी0 पी0 का फर्जी पहचान पत्र भी दिखाया और विश्वास में लेकर सूचक से अन्य–अन्य बैंक खाता एवं मोबाइल पर एवं कई बार नगदी के माध्यम से कुल लगभग 40 लाख रूपया ले लिया। जब कुछ दिनों से इनसे संपर्क नहीं हुआ तो इनके कुछ पहचान वाले से संपर्क करने

<u>न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी</u>

<u>उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी</u>

<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 327/2026</u>

<u>थाना सुप्पी कांड संख्या 54/2026</u>

<u>आदेश दिनांक –20.05.2026</u>

<u>पेज संख्या</u>

से पता चला कि रोहित कुमार भागलपुर के रहने वाले एवं कई अन्य व्यक्तियों से भी नौकरी लगाने के नाम पर तथा पैसा डबल करने के नाम पर पैसा की ठगी किये हैं। मेरे द्वारा ऑनलाईन एवं बैंक खाता के माध्यम से दिये गये पैसों का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। सूचक के इनके झांसा मे आकर अपना सारा जमीन बेचकर पैसा इनके दे दिये हैं एवं फर्जी पहचान पत्र एवं अन्य प्रलोभन देकर ठगी की गयी है।

5. उभयपक्षों को सुना।

अभिलेख एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त पर सूचक का 40 लाख रूपया ठगने के आरोप है। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका 2 में सूचक का पुनः बयान है एवं कंडिका 8, 9 में साक्षियों का बयान है जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महेश मुखिया का चरित्र संदिग्ध मालूम होता है और बराबर लोग इनको खोजने आते हैं। कंडिका 16 में साक्षी का बयान है जिन्होंने कहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सुधीर सहनी से बात किये तो वो बताये कि फैक्ट्री में टेंडर का लाईसेंस देने के नाम पर आवेदक से एक करोड रूपया का मांग कर रहा था तो करीब 40 लाख रूपया उससे भी लिया है। कंडिका 44 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें आवेदक के विरूद्ध मामला को सत्य पाया गया है। कंडिका 68 में आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समिर्पत किया जा चुका है कांड का पूरक अनुसंधान जारी है।

प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना महाराष्ट्र का बताया जाता है, वहीं सूचक जिला मुजफफरपुर तथा अभियुक्त थाना सुप्पी सीतामढी का बताया गया है। वहीं धारा 9 भा0 ना0 सु0 सं0 किसी न्यायिक दंडाधिकारी को जिले के अंतर्गत घटित घटना का विचारण करने का शक्ति प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान कांड का संपूर्ण घटना महाराष्ट्र का है, जिसके कारण वर्तमान न्यायालय का विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण, आरोप की प्रकृति, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं संपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् आवेदक अभियुक्त **1. महेश मुखिया** का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
अपर सत्र न्यायाधीश –XV
सीतामढ़ी।

<u>कार्यालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–XV</u>

प्रतिलिपि ज्ञापांक..... दिनांक.....

आदेश की प्रतिलिपि अंशु कुमारी विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सीतामढी के न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अपर सत्र न्यायाधीश –XV
सीतामढ़ी।